

कार्यालय
महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल म0प्र0

क्रमांक म.कौ.न.र.कौ/2012/6113

भोपाल, दिनांक 10/5/2012


प्रति,

✓ प्राचार्या,
सरदार पटेल स्कूल ऑफ नर्सिंग
खैरी, मण्डला
जिला मण्डला म0प्र0

विषय:- जी.एन.एम. पाठ्यक्रम हेतु वर्ष 2011-12 की स्टेट नर्सिंग कौंसिल की एन.ओ. सी. के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि सरदार पटेल स्कूल ऑफ नर्सिंग मण्डला म0प्र0 को जी.एन.एम. पाठ्यक्रम के लिये कुल 30 सीट्स प्रवेश हेतु 2011-12 के लिये स्टेट नर्सिंग कौंसिल की अनुमति दी जाती है:-

1. आई.एन.सी. के पाठ्यक्रम के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। टीचिंग फैकल्टी की संख्या आई.एन.सी. के मापदण्ड के अनुरूप होना अनिवार्य है तथा छात्र-छात्राओं को प्रायोगिक प्रशिक्षण सिलेबस के अनुरूप कराना अनिवार्य है।
2. संस्था को निर्देशित किया जाता है कि आपके यहां कार्यरत नर्सिंग टीचिंग फैकल्टी के बी.एस.सी. नर्सिंग एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता का रजिस्ट्रेशन महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल में कराने के लिये कार्यवाही यथाशीघ्र करें।
3. संस्था को निर्देशित किया जाता है कि प्रेक्टिकल रिकार्ड बुक (Procedure book) आई.एन.सी. से प्राप्त कर प्रत्येक छात्राओं को फायनल परीक्षा के समय प्रेक्टिकल एक्जामिनेर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा प्रेक्टिकल एक्जामिनेर से वर्षवार प्रेक्टिकल बुक में हस्ताक्षर करवाना सुनिश्चित करें।



रजिस्ट्रार,

महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल म0प्र0

क्रमांक म.कौ.न.र.कौ/2012/.....

भोपाल, दिनांक/...../2012

प्रतिलिपि:-

सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली।

रजिस्ट्रार,

महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल म0प्र0

अनुसूची-9
नियम-5(6) देखिए
मान्यता प्रमाण पत्र का प्रारूप

मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल,
गोमन्तिका परिसर, तृतीय तल, जवाहर चौक, भोपाल |

क्रमांक / म.प्र.न.र.क. / 21 /

भोपाल, दिनांक : 05/04/2021

मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 के तहत **SARDAR PATEL SCHOOL OF NURSING, Mandla** पंजीयन क्रमांक **A200097** को निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करता है:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम	शैक्षणिक सत्र	छात्र संख्या
	B.Sc. (New)	2020-21	45

मान्यता की शर्त:-

1. यह मान्यता "मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018" के तहत शासित है।
2. सभी पाठ्यक्रमों के लिये मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल में रजिस्ट्रेशन के पूर्व पाठ्यक्रम से संबंधित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं पाठ्यक्रम अनुसार इंटरनशिप पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
3. संस्था द्वारा छात्र अथवा उस के पालक से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न फीस/शुल्क की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:-
(अ) प्रवेश, शिक्षण, विकास/संधारण, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, आदि शुल्क के लिए समय-समय पर राज्य प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि।
(ब) पंजीयन परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम की अंकसूची/प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल/मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र. द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि।
4. यह मान्यता स्वयं की घोषणा के आधार पर दी जा रही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मान्यता निरस्त की जावेगी।

दिनांक :- 05/04/2021

Digitally Signed By Chandrakala Divgaiya
(Personal)

Date: 05 Apr 2021 19:09:14 IST

हस्ताक्षर

श्रीमती चंद्रकला दिवगैया
रजिस्ट्रार

प्रावधिक मान्यता प्रमाण पत्र

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल,
गोमन्तिका परिसर, तृतीय तल, जवाहर चौक, भोपाल

क्रमांक / म.प्र.न.र.क. / 25 /

भोपाल, दिनांक : 16/09/2025

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 के तहत **SARDAR PATEL SCHOOL OF NURSING, INFRONT OF YOGIRAJ HOSPITAL KHAIRI, MANDLA Run By society/Trust Name , VINDHYA SHIKSHA SAMITI** पंजीयन क्रमांक **A250230** को निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करता है:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम	शैक्षणिक सत्र	छात्र संख्या	चार साल की संबद्धता
1	B.Sc. (Renewal)	2025-26	60	NO
2	G.N.M. (Renewal)	2025-26	60	NO

मान्यता की शर्त:-

1. यह मान्यता "मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018" एवं "संशोधित नियम" के तहत शासित है ।
2. सभी पाठ्यक्रमों के लिये मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल में रजिस्ट्रेशन के पूर्व पाठ्यक्रम से संबंधित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं पाठ्यक्रम अनुसार इंटरनेशिप पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।
3. संस्था द्वारा छात्र अथवा उस के पालक से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न फीस / शुल्क की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:-
(अ) प्रवेश, शिक्षण, विकास / संधारण, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, आदि शुल्क के लिए समय-समय पर राज्य प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि ।
(ब) पंजीयन परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम की अंकसूची / प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल / मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र. द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि ।
4. यह मान्यता स्वयं की घोषणा के आधार पर दी जा रही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मान्यता निरस्त की जावेगी ।
5. मान्यता प्रमाण पत्र माननीय उच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति/माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेशों के अधीन रहेगा ।
6. उक्त प्रावधिक मान्यता मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 व संशोधित नियमों के तहतसर्त दी जा रही है। भविष्य में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उक्त शर्तों के उल्लघन होने की दशा में उक्तमान्यता निरस्त की जा सकती है। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित संस्था की होगी।
7. यह मान्यता आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत स्व प्रमाणित शपथ पत्र के आधार पर दी जा रही है। जानकारीअसत्य पाए जाने पर मान्यता निरस्त की जावेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Singh
Date: 2025.09.16 14:32:13 IST
Reason: Manyata Pramanpatra
Location: Bhopal(MP)

दिनांक :- 16/09/2025

हस्ताक्षर
श्री मुकेश सिंह
रजिस्ट्रार